न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 25/2019

1. श्री रायचन्द पुत्र उगमा जाति बैरवा निवासी धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 30.05..2019

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा धांतोल, पटवार मण्डल धांतोल व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 344 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1668 रकबा 0.06, 1804/2509 रकबा 0.20, 1832 रकबा 0.09, 1910 रकबा 0.14, 3153/1804 रकबा 0.24 कुल किता–5 रकबा 0.73 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज भूमि हैं जिसमें प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पि. उगमा दर्ज कर दिया गया है जो गलत हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम रायचन्द पि. उगमा कौम बैरवा हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया जाना स्वीकार किया। उभयपक्षान को सुना जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथ, ग्राम धांतोल की जमाबंदी 2072–75 खाता सं. 370 , प्रार्थी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जवाब पैराकार सरकार का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा धांतोल, पटवार मण्डल धांतोल व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 344 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1668 रकबा 0.06, 1804/2509 रकबा 0.20, 1832 रकबा 0.09, 1910 रकबा 0.14, 3153/1804 रकबा 0.24 कुल किता–5 रकबा 0.73 भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र पि. उगमा के स्थान पर सही नाम रायचन्द पि. उगमा कौम बैरवा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए जाते है एवं राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested